



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>  
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859  
फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 3002 / SEIAA/2022

Date: 10/2/22

प्रति,

श्री विनय जैन आत्मज श्री पद्मचन्द्र जैन,  
निवासी- 303 बद्रीविशाल प्लाजा रोड हाईकोर्ट लेन,  
ग्रिड, जिला ग्वालियर (म.प्र.) - 474001.

विषय:- प्रकरण क्र. 8806/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री विनय जैन आत्मज श्री पद्मचन्द्र जैन,  
निवासी- 303 बद्रीविशाल प्लाजा रोड हाईकोर्ट लेन, ग्रिड, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर  
खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.00  
हेक्टेयर, खसरा क. 1244, ग्राम उराहना, तहसील - बामोर, जिला मुरैना (म.प्र.) की पूर्व  
पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।


प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 702 वी बैठक दिनांक 28.01.2022 को  
चर्चा किया गया एवं यह अभिलिखित किया गया .....

SEAC की 538वीं बैठक दिनांक 06.01.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर  
विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के  
आधार पर Google Image अनुसार प्रस्तावित खदान के निकटतम 02 बांध संरचना होना  
परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में  
नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की  
दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है। जिसे मान्य करने पर न्यूनतम उत्खनन क्षेत्र उपलब्ध न  
होने कि स्थिति होना परिलक्षित है।

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त आदेश को मान्य करते हुये उक्त प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया  
गया। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार आपके प्रकरण को निरस्त किया जाता है।

  
olc (श्रीमन् शुक्ला)  
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 3003 /SEIAA/2022 दिनांक - 10/2/22  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र.  
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।



3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

o/c (आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी